

लय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<p>गराम पुत्र ईशराराम भासी पत्नी भोमाराम जाति जाट निवासी गिड़ा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।</p>	<p>बनाम</p>	<p>विप्रार्थीगण 1. देवाराम पुत्र आदूराम 2. अमराराम पुत्र नाथाराम 3. रामाराम पुत्र चोखाराम 4. विरधाराम पुत्र चोखाराम 5. जोगाराम पुत्र चोखाराम जातियान जाट निवासी गिड़ा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा।</p>
---	-------------	--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।
राजस्व आवेदन संख्या 161/2022 दिनांक : 19.07.2022

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र भंवरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बाखासर के मौजा गिड़ा के खेत खसरा संख्या 456/240 रकबा 4.0792 हैक्ट. खसरा संख्या 240 रकबा 2.3229 हैक्ट. किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



Raj
(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

दिनांक 19/07/2022

क्रमांक/भू.अ./2022/ 932-36

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थीगण गंगाराम पुत्र ईशराराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण देवाराम पुत्र आदूराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना।

Raj
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा



गंगाराम वगैरा बनाम देवाराम वगैरा

सीन अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस
प्राथीगण वकील - करनाराम कडवासरा

निर्णय


दिनांक - 19.07.2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्राथीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र भंवरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बाखासर के मौजा गिड़ा के खेत खसरा संख्या 456/240 रकबा 4.0792 हैक्ट. खसरा संख्या 240 रकबा 2.3229 हैक्ट. किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्राथीगण के खेत के पास विप्राथीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्राथीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्राथीगण सेड़ो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्राथीगण एवं विप्राथीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्राथीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पथरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्राथीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्राथीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्राथीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्राथीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्राथीगण की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्राथीगण के वक्त काश्त प्राथीगण व विप्राथीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्राथीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्राथीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्राथीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्राथीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार की तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र भंवरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बाखासर के मौजा गिड़ा के खेत खसरा संख्या 456/240 रकबा 4.0792 हैक्ट. खसरा संख्या 240 रकबा 2.3229 हैक्ट. किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्राथीगण के खसरे की नेखमबन्दी विप्राथीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्राथीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।


(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा
(SDO) सेड़वा

